

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3029

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना

3029. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि तक आंध्र प्रदेश की लंबित/स्वीकृत या पूर्ण होने के करीब विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव कर सकती है। यदि यह ग्रिड की संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों की अनुपालना करती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य की कोई भी जल विद्युत परियोजना सीईए में सहमति प्रदान करने के लिए लंबित नहीं है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पांच (05) ताप विद्युत परियोजनाएं और एक (1) जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन हैं। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध 3029 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017।

आंध्र प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	डॉ.नारला टाटा राव टीपीएस स्टे .-V	यू-1	800
2	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800
3	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV	यू-6	600
4	भवानापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660
		यू-2	660
5	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350
		यू-4	350
6	पोलावरम (12x80) (हाइड्रो)	यू1-यू12	960

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3035
जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

3035. श्री राहुल कस्वा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों की विद्युत आवश्यकता और विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता विद्युत की मांग की तुलना में कम है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2016-17 और वर्तमान वर्ष 2017-18 (जून, 2017 तक) के दौरान राज्य-वार ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध-I में दी गई है और संयुक्त और केन्द्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित हिस्सों सहित विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) एवं (ग) : संयुक्त और केन्द्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित हिस्से सहित राजस्थान राज्य में उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता विद्युत की मांग से अधिक है।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3035 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत आपूर्ति स्थिति - ऊर्जा

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2017 - जून, *2017				अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	487	478	9	1.8	1,645	1,645	0	0.0
दिल्ली	9,345	9,338	7	0.1	30,829	30,797	32	0.1
हरियाणा	12,875	12,875	0	0.0	48,895	48,895	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,326	2,317	9	0.4	8,831	8,779	52	0.6
जम्मू व कश्मीर	4,597	3,669	928	20.2	17,398	14,194	3,204	18.4
पंजाब	14,015	14,015	0	0.0	53,098	53,098	0	0.0
राजस्थान	16,829	16,723	106	0.6	67,838	67,415	423	0.6
उत्तर प्रदेश	31,942	31,575	367	1.1	1,07,569	1,05,701	1,868	1.7
उत्तराखंड	3,500	3,493	7	0.2	13,069	12,986	83	0.6
उत्तरी क्षेत्र	95,915	94,481	1,434	1.5	3,49,172	3,43,513	5,659	1.6
छत्तीसगढ़	6,829	6,829	0	0.0	23,750	23,697	53	0.2
गुजरात	29,192	29,192	0	0.0	1,03,706	1,03,705	1	0.0
मध्य प्रदेश	16,166	16,166	0	0.0	65,759	65,758	1	0.0
महाराष्ट्र	40,054	40,003	51	0.1	1,39,295	1,39,228	67	0.0
दमन व दीव	630	630	0	0.0	2,398	2,398	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	1,525	1,525	0	0.0	6,021	6,021	0	0.0
गोवा	1,036	1,036	0	0.0	4,319	4,317	2	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	95,433	95,382	51	0.1	3,45,247	3,45,127	120	0.0
आंध्र प्रदेश	14,384	14,377	7	0.0	54,300	54,257	43	0.1
तेलंगाना	13,291	13,286	5	0.0	53,030	53,018	12	0.0
कर्नाटक	16,640	16,634	6	0.0	66,899	66,537	362	0.5
केरल	6,394	6,388	6	0.1	24,296	24,261	35	0.1
तमिलनाडु	27,986	27,977	9	0.0	1,04,511	1,04,487	24	0.0
पुडुचेरी	703	703	0	0.0	2,548	2,545	3	0.1
लक्षद्वीप#	12	12	0	0.0	48	48	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	79,399	79,365	34	0.0	3,05,588	3,05,106	482	0.2
बिहार	6,797	6,606	191	2.8	25,711	25,130	581	2.3
झीवीसी	5,230	5,221	9	0.2	18,929	18,791	138	0.7
झारखंड	1,969	1,962	7	0.4	7,960	7,906	54	0.7
ओडिशा	7,285	7,283	2	0.0	26,758	26,756	2	0.0
पश्चिम बंगाल	13,627	13,571	56	0.4	47,948	47,807	141	0.3
सिक्किम	106	106	0	0.0	475	475	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	60	45	15	25.0	240	180	60	25.0
पूर्वी क्षेत्र	35,015	34,751	264	0.8	1,27,783	1,26,867	916	0.7
अरुणाचल प्रदेश	183	180	3	1.6	729	714	15	2.1
असम	2,227	2,111	116	5.2	9,020	8,694	326	3.6
मणिपुर	184	181	3	1.6	764	740	24	3.1
मेघालय	407	407	0	0.0	1,715	1,715	0	0.0
मिजोरम	124	122	2	1.6	514	501	13	2.5
नागालैंड	187	184	3	1.6	757	745	12	1.6
त्रिपुरा	605	592	13	2.1	1,644	1,621	23	1.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,918	3,777	141	3.6	15,140	14,720	420	2.8
अखिल भारत	3,09,680	3,07,755	1,925	0.6	11,42,928	11,35,332	7,596	0.7

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3035 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उल्लिखित अनुबंध।

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटीयों में आबंटित हिस्सों सहित उत्तरी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटीयों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
दिल्ली	राज्य	135.00	1800.40	0.00	1935.40	0.00	0.00	0.00	1935.40
	निजी	869.22	108.00	0.00	977.22	0.00	0.00	56.27	1033.49
	केंद्रीय	3821.18	207.01	0.00	4028.19	102.83	723.09	0.00	4854.11
	उप-जोड़	4825.40	2115.41	0.00	6940.81	102.83	723.09	56.27	7823.00
हरियाणा	राज्य	2720.00	150.00	0.00	2870.00	0.00	1084.51	59.30	4013.81
	निजी	4080.78	0.00	0.00	4080.78	0.00	200.00	192.00	4472.78
	केंद्रीय	1269.32	535.61	0.00	1804.94	100.94	663.70181	0.00	2569.58
	उप-जोड़	8070.10	685.61	0.00	8755.72	100.94	1948.21	251.30	11056.16
हिमाचल प्रदेश	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.60	256.61	851.21
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	579.43	1559.43
	केंद्रीय	170.74	62.01	0.00	232.75	28.95	1223.88	0.00	1485.58
	उप-जोड़	170.74	62.01	0.00	232.75	28.95	2798.48	836.04	3896.22
जम्मू व कश्मीर	राज्य	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	1230.00	108.03	1513.03
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36	51.36
	केंद्रीय	463.15	129.07	0.00	592.23	67.98	1048.98	0.00	1709.19
	उप-जोड़	463.15	304.07	0.00	767.23	67.98	2278.98	159.39	3273.58
पंजाब	राज्य	2630.00	150.00	0.00	2780.00	0.00	2570.23	127.80	5478.03
	निजी	5115.50	0.00	0.00	5115.50	0.00	288.00	1040.80	6444.30
	केंद्रीय	871.08	264.01	0.00	1135.09	196.81	923.42	0.00	2255.32
	उप-जोड़	8616.58	414.01	0.00	9030.59	196.81	3781.65	1168.60	14177.65
राजस्थान	राज्य	5850.00	603.80	0.00	6453.80	0.00	1087.96	23.85	7565.61
	निजी	3882.00	0.00	0.00	3882.00	0.00	104.00	6362.24	10348.24
	केंद्रीय	1153.91	221.10	0.00	1375.01	556.74	739.01	0.00	2670.76
	उप-जोड़	10885.91	824.90	0.00	11710.81	556.74	1930.97	6386.09	20584.61
उत्तर प्रदेश	राज्य	5923.00	0.00	0.00	5923.00	0.00	724.10	25.10	6672.20
	निजी	8714.33	0.00	0.00	8714.33	0.00	842.00	2297.00	11853.33
	केंद्रीय	3315.25	549.49	0.00	3864.74	289.48	1664.93	0.00	5819.15
	उप-जोड़	17952.58	549.49	0.00	18502.07	289.48	3231.03	2322.10	24344.68
उत्तराखंड	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.15	62.87	1315.02
	निजी	99.00	450.00	0.00	549.00	0.00	88.00	452.94	1089.94
	केंद्रीय	332.05	69.66	0.00	401.71	31.24	475.54	0.00	908.49
	उप-जोड़	431.05	519.66	0.00	950.71	31.24	1815.69	515.81	3313.45
चंडीगढ़	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32	17.32
	केंद्रीय	34.86	15.03	0.00	49.88	8.01	101.71	0.00	159.60
	उप-जोड़	34.86	15.03	0.00	49.88	8.01	101.71	17.32	176.92
केंद्रीय - अनाबंटित		1198.83	291.05	0.00	1489.88	237.03	701.95	0.00	2428.87
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	राज्य	17258.00	2879.20	0.00	20137.20	0.00	8543.55	663.56	29344.31
	निजी	22760.83	558.00	0.00	23318.83	0.00	2502.00	11049.36	36870.19
	केंद्रीय	12630.37	2344.06	0.00	14974.43	1620.00	8266.22	0.00	24860.65
	सकल योग	52649.20	5781.26	0.00	58430.46	1620.00	19311.77	11712.92	91075.15

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटियों में आबंटित हिस्सों सहित पश्चिमी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
गोवा	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
	निजी	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.71	48.71
	केंद्रीय	451.12	22.20	0.00	473.32	26.00	0.00	0.00	499.32
	उप-जोड़	451.12	70.20	0.00	521.32	26.00	0.00	0.76	548.08
दमन व दीव	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46
	केंद्रीय	122.96	48.40	0.00	171.36	7.00	0.00	0.00	178.36
	उप-जोड़	122.96	48.40	0.00	171.36	7.00	0.00	10.46	188.82
गुजरात	राज्य*	5230.00	2177.82	0.00	7407.82	0.00	772.00	8.00	8187.82
	निजी	7765.67	3960.00	0.00	11725.67	0.00	0.00	6770.37	18496.04
	केंद्रीय	3012.09	424.00	0.00	3436.09	559.00	0.00	0.00	3995.09
	उप-जोड़	16007.76	6561.82	0.00	22569.58	559.00	772.00	6778.37	30678.95
मध्य प्रदेश	राज्य	4080.00	0.00	0.00	4080.00	0.00	1703.66	83.96	5867.62
	निजी	5574.00	100.00	0.00	5674.00	0.00	0.00	3453.93	9127.93
	केंद्रीय	2720.70	257.00	0.00	2977.70	273.00	1520.00	0.00	4770.70
	उप-जोड़	12374.70	357.00	0.00	12731.70	273.00	3223.66	3537.89	19766.25
छत्तीसगढ़	राज्य	3280.00	0.00	0.00	3280.00	0.00	120.00	11.05	3411.05
	निजी	7230.00	0.00	0.00	7230.00	0.00	0.00	421.81	7651.81
	केंद्रीय	1628.44	0.00	0.00	1628.44	48.00	0.00	0.00	1676.44
	उप-जोड़	12138.44	0.00	0.00	12138.44	48.00	120.00	432.86	12739.30
महाराष्ट्र	राज्य	10380.00	672.00	0.00	11052.00	0.00	2884.84	208.12	14144.96
	निजी	12306.00	568.00	0.00	12874.00	0.00	447.00	7440.67	20761.67
	केंद्रीय	4219.43	2513.00	0.00	6732.43	690.00	0.00	0.00	7422.43
	उप-जोड़	26905.43	3753.00	0.00	30658.43	690.00	3331.84	7648.79	42329.06
दादरा एवं नगर हवेली	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	2.97
	केंद्रीय	169.21	71.40	0.00	240.61	9.00	0.00	0.00	249.61
	उप-जोड़	169.21	71.40	0.00	240.61	9.00	0.00	2.97	252.58
केंद्रीय - अनाबंटित		1994.00	197.59	0.00	2191.59	228.00	0.00	0.00	2419.59
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	राज्य	22970.00	2849.82	0.00	25819.82	0.00	5480.50	311.18	31611.50
	निजी	32875.67	4676.00	0.00	37551.67	0.00	447.00	18100.92	56099.59
	केंद्रीय	14317.95	3533.59	0.00	17851.54	1840.00	1520.00	0.00	21211.54
	सकल योग	70163.62	11059.41	0.00	81223.03	1840.00	7447.50	18412.10	108922.63

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटीयों में आबंटित हिस्सों सहित दक्षिणी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटीयों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
आंध्र प्रदेश	राज्य	4410.00	235.40	0.00	4645.40	0.00	1673.60	89.50	6408.50
	निजी	3873.88	3694.12	36.80	7604.80	0.00	0.00	6321.19	13925.99
	केंद्रीय	1607.60	0.00	0.00	1607.60	127.27	0.00	0.00	1734.87
	उप-जोड़	9891.48	3929.52	36.80	13857.80	127.27	1673.60	6410.69	22069.36
तेलंगाना	राज्य	4082.50	0.00	0.00	4082.50	0.00	2380.93	0.00	6463.43
	निजी	839.45	950.88	0.00	1790.33	0.00	0.00	1868.17	3658.50
	केंद्रीय	1878.12	0.00	0.00	1878.12	148.73	0.00	0.00	2026.85
	उप-जोड़	6800.07	950.88	0.00	7750.95	148.73	2380.93	1868.17	12148.78
कर्नाटक	राज्य	5020.00	0.00	127.92	5147.92	0.00	3599.80	155.33	8903.05
	निजी	1958.50	0.00	25.20	1983.70	0.00	0.00	7478.48	9462.18
	केंद्रीय	2429.20	0.00	0.00	2429.20	698.00	0.00	0.00	3127.20
	उप-जोड़	9407.70	0.00	153.12	9560.82	698.00	3599.80	7633.81	21492.43
केरल	राज्य	0.00	0.00	159.96	159.96	0.00	1881.50	145.02	2186.48
	निजी	615.00	174.00	0.00	789.00	0.00	0.00	193.70	982.70
	केंद्रीय	1108.18	359.58	0.00	1467.76	362.00	0.00	0.00	1829.76
	उप-जोड़	1723.18	533.58	159.96	2416.72	362.00	1881.50	338.72	4998.94
तमिलनाडु	राज्य	4320.00	524.08	0.00	4844.08	0.00	2203.20	122.70	7169.98
	निजी	4837.67	503.10	411.70	5752.47	0.00	0.00	10516.74	16269.21
	केंद्रीय	4389.52	0.00	0.00	4389.52	1448.00	0.00	0.00	5837.52
	उप-जोड़	13547.19	1027.18	411.70	14986.07	1448.00	2203.20	10639.44	29276.71
एनएलसी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केंद्रीय	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	उप-जोड़	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
पुडुचेरी	राज्य	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
	केंद्रीय	248.40	0.00	0.00	248.40	86.00	0.00	0.00	334.40
	उप-जोड़	248.40	32.50	0.00	280.90	86.00	0.00	0.08	366.98
केंद्रीय - अनाबंटित		1664.00	0.00	0.00	1664.00	450.00	0.00	0.00	2114.00
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	राज्य	17832.50	791.98	287.88	18912.36	0.00	11739.03	512.55	31163.94
	निजी	12124.50	5322.10	473.70	17920.30	0.00	0.00	26378.36	44298.66
	केंद्रीय	13425.02	359.58	0.00	13784.60	3320.00	0.00	0.00	17104.60
	सकल योग	43382.02	6473.66	761.58	50617.26	3320.00	11739.03	26890.91	92567.20

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटीयों में आबंटित हिस्सों सहित पूर्वी क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटीयों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
बिहार	राज्य	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	70.70	280.70
	निजी	281.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	224.52	505.52
	केंद्रीय	2939.33	0.00	0.00	2939.33	0.00	110.00	0.00	3049.32
	उप-जोड़	3430.33	0.00	0.00	3430.33	0.00	110.00	295.22	3835.54
झारखंड	राज्य	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	130.00	4.05	554.05
	निजी	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	23.27	873.27
	केंद्रीय	748.74	0.00	0.00	748.74	0.00	61.00	0.00	809.74
	उप-जोड़	2018.74	0.00	0.00	2018.74	0.00	191.00	27.32	2237.06
पश्चिम बंगाल	राज्य	5520.00	100.00	0.00	5620.00	0.00	986.00	91.95	6697.95
	निजी	2331.38	0.00	0.00	2331.38	0.00	0.00	332.69	2664.07
	केंद्रीय	760.77	0.00	0.00	760.77	0.00	410.00	0.00	1170.77
	उप-जोड़	8612.15	100.00	0.00	8712.15	0.00	1396.00	424.64	10532.78
डीवीसी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केंद्रीय	7535.04	0.00	0.00	7535.04	0.00	186.20	0.00	7721.24
	उप-जोड़	7535.04	0.00	0.00	7535.04	0.00	186.20	0.00	7721.24
ओडिशा	राज्य	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	2061.92	6.30	2488.22
	निजी	2939.00	0.00	0.00	2939.00	0.00	0.00	188.15	3127.15
	केंद्रीय	1633.90	0.00	0.00	1633.90	0.00	89.00	0.00	1722.90
	उप-जोड़	4992.90	0.00	0.00	4992.90	0.00	2150.92	194.45	7338.27
सिक्किम	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	52.11	412.11
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	291.00
	केंद्रीय	87.03	0.00	0.00	87.03	0.00	64.00	0.00	151.03
	उप-जोड़	87.03	0.00	0.00	87.03	0.00	715.00	52.11	854.14
केंद्रीय - अनाबंटित		1101.83	0.00	0.00	1101.83	0.00	85.01	0.00	1186.84
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	राज्य	6570.00	100.00	0.00	6670.00	0.00	3537.92	225.11	10433.03
	निजी	6401.38	0.00	0.00	6401.38	0.00	291.00	768.63	7461.00
	केंद्रीय	14806.64	0.00	0.00	14806.64	0.00	1005.20	0.00	15811.84
	सकल योग	27778.02	100.00	0.00	27878.02	0.00	4834.12	993.74	33705.87

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटीयों में आबंटित हिस्सों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटीयों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
असम	राज्य	60.00	323.45	0.00	383.45	0.00	100.00	30.01	513.46
	निजी	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	15.88	40.38
	केंद्रीय	279.02	435.56	0.00	714.58	0.00	331.23	0.00	1045.81
	उप-जोड़	339.02	783.51	0.00	1122.53	0.00	431.23	45.89	1599.65
अरुणाचल प्रदेश	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61	104.61
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27
	केंद्रीय	24.70	46.82	0.00	71.52	0.00	97.45	0.00	168.97
	उप-जोड़	24.70	46.82	0.00	71.52	0.00	97.45	104.87	273.84
मेघालय	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	31.03	353.03
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	केंद्रीय	30.40	109.69	0.00	140.09	0.00	65.19	0.00	205.28
	उप-जोड़	30.40	109.69	0.00	140.09	0.00	387.19	31.04	558.32
त्रिपुरा	राज्य	0.00	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	16.01	185.51
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09
	केंद्रीय	37.40	436.95	0.00	474.35	0.00	62.38	0.00	536.73
	उप-जोड़	37.40	606.45	0.00	643.85	0.00	62.38	21.10	727.33
मणिपुर	राज्य	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	5.45	41.45
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	केंद्रीय	31.40	71.57	0.00	102.97	0.00	88.93	0.00	191.90
	उप-जोड़	31.40	71.57	36.00	138.97	0.00	88.93	5.48	233.38
नागालैंड	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	30.67
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	केंद्रीय	21.40	48.93	0.00	70.33	0.00	53.37	0.00	123.70
	उप-जोड़	21.40	48.93	0.00	70.33	0.00	53.37	31.17	154.87
मिजोरम	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
	केंद्रीय	20.70	40.46	0.00	61.16	0.00	34.19	0.00	95.35
	उप-जोड़	20.70	40.46	0.00	61.16	0.00	34.19	41.57	136.92
केंद्रीय - अनाबंटित		75.00	63.62	0.00	138.62	0.00	127.26	0.00	265.88
कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	राज्य	60.00	492.95	36.00	588.95	0.00	422.00	259.25	1270.20
	निजी	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	21.88	46.38
	केंद्रीय	520.02	1253.60	0.00	1773.62	0.00	860.00	0.00	2633.62
	सकल योग	580.02	1771.05	36.00	2387.07	0.00	1282.00	281.12	3950.19

संयुक्त और केंद्रीय यूटिलिटीयों में आबंटित हिस्सों सहित द्वीपसमूहों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटीयों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

(30.06.2017 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व/क्षेत्र	मोड-वार ब्रेकअप							सकल योग
		ताप				न्यूक्लियर	हाइड्रो (नवीकरणीय)	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	गैस	डीजल	कुल				
अंडमान एवं निकोबार	राज्य	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	5.25	45.30
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	6.56
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	11.81	51.86
लक्षद्वीप	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
कुल (द्वीपसमूह)	राज्य	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	5.25	45.30
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	7.31
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	12.56	52.61

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3040

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

केरल में विद्युत सर्वेक्षण

3040. डॉ. शशि थरूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल राज्य में वर्ष 2017-18 के लिए अधिकतम विद्युत लोड हेतु संभावित विद्युत मांग कितनी है;
- (ख) कासरगौड़ विद्युत स्टेशन जैसी प्रस्तावित परियोजनाओं को रद्द करने के आलोक में, मंत्रालय द्वारा उक्त राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के क्या उपाय किए गए हैं;
- (ग) क्या उनके मंत्रालय का कोच्चि में एलएनजी टर्मिनल का कार्य पूरा करने, जो देश के ऐसे मात्र चार टर्मिनलों में से एक है और एलएनजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2017-18 के दौरान केरल में अनुमानित व्यस्ततम मांग 4387 मेगावाट है।

(ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य के भीतर विद्युत की व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं को वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य अपनी भविष्य की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने की परियोजना विकासकर्ताओं से विद्युत प्रापण के लिए बोलियां मांग सकती हैं। भारत सरकार द्वारा केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण की जाती है और वहां के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य को विद्युत के पारेषण हेतु पर्याप्त पारेषण क्षमता उपलब्ध है।

केंद्रीय क्षेत्र की आने वाली परियोजनाओं में केरल का हिस्सा एनटीपीसी के कुडगी (2400 मेगावाट) तथा भावीनी, कलपक्कम (500 मेगावाट) में क्रमशः 105 मेगावाट एवं 43 मेगावाट है।

(ग) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी स्थान पर नया विद्युत संयंत्र उस क्षेत्र में विद्युत की मांग एवं आयोजना के आधार पर है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3078

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली

3078. श्री सी. गोपालकृष्णनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चीन राष्ट्र द्वारा संचालित सदरन पॉवर ग्रिड का भारत में विद्युत पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार चीनी कंपनियों सहित विदेशी फर्मों की रूचि को भी आकर्षित कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) कुल कितनी चीनी कंपनियां भारत की विद्युत परियोजनाओं में निवेश की इच्छुक हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को परियोजनाएं प्रदान करने पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (घ) : जी, हाँ। सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से चीन राज्य द्वारा चलाई जा रही सदरन पावरग्रिड प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही तीन पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया में भाग ले रहा है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में दिनांक 13.4.2006 को भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी "पारेषण सेवा हेतु प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देश" और "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करने संबंधी दिशा-निर्देश" के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र पारेषण परियोजना की स्थापना के लिए विकासकर्ता का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं, जिनके लिए बोली प्रक्रिया पूर्व में आयोजित की गई थी, में आईसोलक्स कोरसन कनसेशन स्पेन, इनस्टेलसिंओनीस इनाबेसा एसए, स्पेन, सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोबरा, इन्सटेलाकेनेस वाई सर्विसिओस एसए, स्पेन, बैन्काक एंड ब्राउन इनवेस्टमेंट होल्डिंग (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, स्टेट ग्रिड इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड, बेलफोर बेटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ कंसॉर्टियम जैसी विदेशी कंपनियों ने भाग लिया था। एक स्वतंत्र पारेषण परियोजना टोरेंट पावर अर्थात लिमिटेड के डीजीईएन टीपीएस (1200 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली में, इन्सेटेकोनीज इनाबनसा, एसए, स्पेन सफल बालीदाता था।

(ङ): तीन पारेषण परियोजनाएं, जिनमें चीन की कंपनियां भाग ले रही हैं, प्रक्रियाधीन हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3087

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

3087. डॉ. के. कामराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी परियोजना और राज्य-वार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या सरकार का विचार इन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी निधि निर्धारित की गई है; और
- (घ) सरकार द्वारा गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : वर्तमान में, इन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने बताया है कि विद्युत क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति वर्तमान उत्पादन स्तर पर की जा रही है और विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस आपूर्ति में केवल तभी सुधार हो सकता है जब भविष्य में उत्पादन का स्तर बढ़े और यह एमओपीएंडएनजी के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3087 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017
उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	पावर स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
केंद्रीय क्षेत्र			
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान
3	एनटीपीसी, औरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर) सीसीपीपी	657.39	गुजरात
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात
7	रत्नागिरि (आरजीपीपीएल -ढाभोल)	1967	महाराष्ट्र
8	काथलगुड़ी (नीपको)	291	असम
9	मोनार्क (नीपको)	101	त्रिपुरा
10	अगरतला जीटी + एसटी (नीपको)	135	त्रिपुरा
11	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	726.6	त्रिपुरा
राज्य क्षेत्र			
12	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली
13	प्रगति सीसीजीटी -III	1500	दिल्ली
14	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली
15	धोलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान
16	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	273.8	राजस्थान
17	पीपावव सीसीपीपी	702	गुजरात
18	घुवारन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	594.72	गुजरात
19	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात
20	हजीरा सीसीपीपी एक्सटेंशन	351	गुजरात
21	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	518	गुजरात
22	उरान सीसीपीपी (महाजेनको)	672	महाराष्ट्र
23	कराईकल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी
24	कोवीकलपाल (तिरुमाकोट्टाई)	107	तमिलनाडु
25	कुट्टालम (टेनजेडको)	100	तमिलनाडु
26	वलुथुर सीसीपीपी	186.2	तमिलनाडु
27	गोदावरी (जेगुरुपडु)	216	आंध्र प्रदेश
28	लकवा जीटी (एसईबी, माईबेल्ला)	157.2	असम

29	नामरूप सीसीपीपी + एसटी (एपीजीसीएल)	181.5	असम
30	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा
31	रोखिया जीटी जीटी (टीएसईसीएल)	111	त्रिपुरा
निजीक्षेत्र आईपीपी/			
32	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
33	गामा सीसीपीपी	225	उत्तराखंड
34	काशीपुर सीसीपीपी (श्रावंधी)	225	उत्तराखंड
35	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र
36	मंगांव सीसीपीपी	388	महाराष्ट्र
37	बरोडा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात
38	एस्सार सीसीपीपी	300	गुजरात
39	पगुथान सीसीपीपी (जीपीईसी)	655	गुजरात
40	सुगेन सीसीपीपी (टोरंट)	1147.5	गुजरात
41	उनोसुगेन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
42	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
43	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
44	जीएमआर - काकीनाडा (तानिरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
45	जीएमआर - राजमुंद्री एनर्जी लि.	768	आंध्र प्रदेश
46	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश
47	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	239.4	आंध्र प्रदेश
48	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
49	कॉडापल्ली एक्सटेंशन सीसीपीपी .	366	आंध्र प्रदेश
50	कॉडापल्ली स्टेज-3 सीसीपीपी सीसीपीपी (लेंको)	742	आंध्र प्रदेश
51	कॉडापल्ली सीसीपीपी (लेंको)	350	आंध्र प्रदेश
52	पेड्डापूरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश
53	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
54	विजेस्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश
55	श्रेबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
56	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
57	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
58	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
59	कारूपपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु
60	पी. नेल्लुर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु
61	वालंटार्वी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु
62	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3097

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

गांव के विद्युतीकरण की परिभाषा

3097. श्री एम. आई. शनवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी गई गांव के विद्युतीकरण की परिभाषा के कारण देश में पूर्ण किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़ों की दोषपूर्ण एवं गलत गणना हुई है क्योंकि इसमें परिवारों को मिले वास्तविक विद्युत कनेक्शन या इसकी आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है; और
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई गलतियों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को विद्युतीकृत तभी सूचित किया जाता है, यदि

- i) आधारभूत अवसंरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों तथा कमजोर वर्गों द्वारा सोसायटी/आवास की आबादी वाले स्थानों में उपलब्ध कराई गई हो, जहाँ वे मौजूद हैं,
- ii) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को उपलब्ध करा दी गई हो और
- iii) विद्युतीकृत गाँवों की संख्या गाँव में घरों कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गाँव को राज्यों द्वारा विद्युतीकृत तभी सूचित किया जाता है यदि वह उपर्युक्त मानकों को पूरा करते हैं। तथापि, अवसंरचना का स्तर उसी गाँव के विभिन्न आवासों में अलग-अलग हो सकता है।

राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राज्य की नीति के अनुसार सभी आवासों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत की आपूर्ति तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशेष दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ "सभी के लिए 24X7 विद्युत" के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एशॉरेस योजना (उदय) आदि सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3102
जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

पर्यावरणीय मंजूरी

3102. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की अतिरापिल्ली जल विद्युत ऊर्जा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18.07.2007 को केरल के त्रिशूर जिले में अथिरापल्ली जलविद्युत परियोजना (163 मेगावाट) को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की। इसकी वैधता 17.07.2017 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3103

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

ट्रांसफॉर्मर लगाना

3103. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दो खंभों के ढांचे पर 500 केवीए तक की क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों को लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वैद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2015 के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर का लगाना संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार होगा और संबंधित भारतीय मानकों (आईएस 1180 (भाग-1):2014) में 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर के लिए पोल माउंटिंग व्यवस्था के विकल्प की अनुमति होती है।

वितरण यूटिलिटी को, यूटिलिटी में स्थान के अनुसार 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर को स्थापित करने और अपनायी जा रही प्रेक्टिसों के अनुसार सिंगल पोल, डबल पोल और चार पोल के उपयोग का निर्णय करना होता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3122
जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत का प्रति व्यक्ति उपयोग

3122. श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत विश्व में विद्युत का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन प्रति व्यक्ति उपभोग के मामले में उसका 150वां स्थान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत की माँग और आपूर्ति का अंतर बढ़ रहा है जबकि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को विद्युत उपलब्ध नहीं है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार अत्यावश्यक है क्योंकि अनुमानित वित्तीय हानि जीडीपी की 4 प्रतिशत से अधिक है; और
- (च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत वर्ष 2014 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश और प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से 105वां देश था। वर्ष 2014 की प्रमुख विश्व ऊर्जा गणना 2016 (आईईए) के आंकड़ों के अनुसार विश्व के दस शीर्ष विद्युत उत्पादक देश अनुबंध-1 में दिए गए हैं। वर्ष 2014 की प्रमुख विश्व ऊर्जा गणना, 2016 (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) के अनुसार विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति खपत अनुबंध-॥ में दी गई है।

(ग) और (घ) : मेगावाट में व्यस्ततम एवं एमयू में ऊर्जा के रूप में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का अंतर व्यस्ततम मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि के बावजूद उत्तरोत्तर कम हो रहा है। ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) : पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार, सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों की समग्र हानियों में कमी का रुझान है। विद्युत मंत्रालय ने सुधारात्मक उपाय के रूप में उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना) (विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के वित्तीय टर्न-अराउंड स्कीम) शुरू की है, जो राज्य डिस्कामों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक के (ख) और (क) के भाग 3122 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014 के लिए की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स 2016 (आईईए) के आंकड़े के अनुसार विश्व में 10 शीर्षस्थ विद्युत उत्पादन करने वाले देश

क्रम सं.	देश	विद्युत उत्पादन (टीडब्ल्यूएच)
1	चीन जनवादी गणराज्य	5666
2	यूनाइटेड स्टेट्स	4319
3	भारत	1279*
4	रूसी फेडरेशन	1062
5	जापान	1036
6	कनाडा	656
7	जर्मनी	622
8	ब्राजील	591
9	फ्रांस	557
10	कोरिया	546

* भारत के संबंध में आंकड़े सीईए द्वारा परकलित किए गए और वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित हैं।

लोक सभा में दिनांक 03.08.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या के (ख) और (क) के भाग 3122 उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष) 2016 के लिए की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स 2014 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीके अनुसार विभिन्न देशों की (प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

क्रम सं.	क्षेत्र/देश	प्रति व्यक्ति विद्युत खपत) केडब्ल्यूएच/पीओपीएल (.
1	आइसलैंड	53896
2	नॉर्वे	23001
3	बेहरेन	19224
4	कतर	16736
5	कनाडा	15544
6	कुवैत	15333
7	फिनलैंड	15246
8	लक्समबर्ग	13873
9	स्वीडन	13480
10	यूनाइटेड स्टेट्स	12962
11	संयुक्त अरब अमीरात	11245
12	चीनी तैपई	10738
13	कोरिया	10564
14	ब्रूनेई द्रस्सलम	10113
15	ऑस्ट्रेलिया	10002
16	सऊदी अरब	9410
17	न्यूजीलैंड	9131
18	सिंगापुर	8844
19	ऑस्ट्रिया	8358
20	जापान	7829
21	बेल्जियम	7745
22	स्विट्जरलैंड	7520
23	त्रिनिदाद और टोबैगो	7137
24	जर्मनी	7035
25	फ्रांस	6955
26	सोलवेनिया	6728
27	इस्टोनिया	6725
28	नीदरलैंड	6713
29	इजराइल	6604
30	रूसी फेडरेशन	6603
31	चेज गणराज्य	6259
32	ओमान	6128
33	हांगकांग , चीन	6073
34	डेनमार्क	5859
35	जिब्राल्टर	5818
36	आयरलैंड	5725
37	कजाखिस्तान	5600
38	स्पेन	5358
39	स्लोवक गणराज्य	5137
40	यूनाइटेड किंगडम	5131
41	ग्रीस	5047
42	माल्टा	5012

43	इटली	5002
44	साइप्रस ⁵	4868
45	कुराकाओ	4795
6	बुलगारिया	4709
47	पुर्तगाल	4663
48	मलेशिया	4646
49	मोंटेनेग्रो	4611
50	सर्बिया	4273
51	दक्षिण अफ्रीका	4240
52	हंगरी	3966
53	चीन) जनवादी गणराज्य (3927
54	पोलैंड	3923
55	चीले	3863
56	लिथुयानिया	3826
57	क्रोशिया	3715
58	सुरीनेम ⁵	3699
59	बेलारस	3682
60	लेबनान	3565
61	लटविया ⁵	3514
62	मैकडोनिया का एफवाईआर	3500
63	उक्रेन	3412
64	बोसिनिया और हर्जगोविना	3144
65	उरुग्वे	3068
66	अर्जेंटीना	3052
67	ईरान इस्लामिक गणराज्य	2996
68	तुर्की	2870
69	कोसोवो	2803
70	तुर्मेनिस्तान	2759
71	वेनेजुएला	2661
72	रोमानिया	2584
73	ब्राजील	2578
74	थाइलैंड	2566
75	जॉर्डन	2517
76	अलबनिया	2305
77	जॉर्जिया	2225
78	अजरबाइजान	2202
79	मॉरीशस	2182
80	मैक्सिको	2169
81	पनामा	2082
82	मंगोलिया	2027
83	कोस्टा रिका	1958
84	किर्गिजस्तान	1942
85	अरमेनिया	1901
86	लीबिया	1841
87	बोट्सवाना	1708
88	इजिप्ट	1699
89	उजबेकिस्तान	1645
90	डोमिनिसियन गणराज्य	1578
91	नामीबिया	1563
92	परग्वे	1563
93	तजाकिस्तान	1492
94	तुनिसिया	1463
95	क्यूबा	1442

96	वियतनाम	1439
97	मालदीव	1386
98	इक्वाडोर	1381
99	अलगरिया	1363
100	ईराक	1313
101	पेरू	1308
102	गबोन	1303
103	कोलंबिया	1290
104	जमैका	1110
105	भारत	1010
106	ईआई सल्वाडोर	966
107	मोरक्को	912
108	सीरिया अरब गणराज्य	823
109	इंडोनेशिया	814
110	बोलिविया	753
111	फिलीपिंस	706
112	जमबिया	703
113	हॉंदुरस	697
114	कोरिया की डीपीआर	602
115	निकारागुवा	580
116	गॉटेमाला	575
117	जिंबाबे	543
118	श्रीलंका	535
119	पाकिस्तान	472
120	मोजांबिक	463
121	घाना	357
122	अंगोला	347
123	बांग्लादेश	311
124	कोट ऑफ डिव्लोयर	281
125	कैमरून	274
126	कंबोडिया	270
127	सूडान	248
128	सेनेगल	222
129	येमेन	217
130	कांगो गणराज्य	213
131	म्यांमार	211
132	केन्या	171
133	टोगो	155
134	निगेरिया	144
135	नेपाल	140
136	कांगो डेम गणर .	107
137	तंजानिया	100
138	बेनीन	97
139	इथोपिया	70
140	एरीट्री	63
141	निगर	52
142	हैती	39
143	दक्षिणी सूडान	39

टिप्पणी: भारत के संबंध में आंकड़े सीईए द्वारा परकलित किए गए और वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित हैं।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर (घ) और (ग) के भाग 3122 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 अनुबंध। में उल्लिखित

विद्युत की वर्ष वार मांग और आपूर्ति-

वित्तीय वर्ष	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अंतर		ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	अंतर	
			(मेगावाट)	%			(एमयू)	(%)
2014-15	1,48,166	1,41,160	-7,006,	-4.7%	10,68,923	10,30,785	-38,138	-3.6%
2015-16	1,53,366	1,48,463	-4,903,	-3.2%	11,14,408	10,90,850	-23,558	-2.1%
2016-17	1,59,542	1,56,542	-991,	-1.6%	11,42,928	11,35,332	-7,596	-0.7%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3125

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद समझौता

3125. श्रीमती रीता तराई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्युत एक दुर्लभ वस्तु नहीं रही है और यह सहमति की दर पर तुरंत विनिमय हेतु उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दीर्घकालिक अवधि में विद्युत दर को जानना वास्तविक रूप से कठिन हो गया है और इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ओडिशा जैसे राज्य जिसने 25 वर्ष का पीपीए किया है, द्वारा वहन किए जाने वाला जोखिम दीर्घावधि में विद्युत के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण बहुत अधिक हो जाएगा और उसे संभाला नहीं जा सकेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार उत्पादक और लाभार्थी के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आवश्यक संशोधन करके पाँच वर्ष की समीक्षा संबंधी उपबंध के साथ इसे 5 वर्ष (25 वर्ष के लिए नहीं) करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। विद्युत अब दुर्लभ वस्तु नहीं रही है। व्यस्ततम तथा ऊर्जा कमियों में वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर कमी आई है और यह कमी 2016-17 में क्रमशः 1.6% तथा 0.7% थी। विनिमयों पर पता लगाए गए मूल्य में मांग तथा आपूर्ति के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। कारोबार की जाने वाली विद्युत का मूल्य तथा मात्रा विनिमयों पर डबल साइडेड क्लोज्ड ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित की जाती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार जून, 2017 माह के लिए राज्यों को पूर्ति की गई विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा व्यस्ततम मांग का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मार्केट निगरानी प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार प्रचलित दरें अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग) : लागत आधिक्य पहुँच के अंतर्गत दीर्घकालिक पीपीए के मामले में प्रशुल्क उपयुक्त आयोग के विनियमों में कुछ पूर्व निर्धारित कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो सामान्यतः वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दीर्घकालिक पीपीए के मामले में वर्ष-दर-वर्ष प्रशुल्क एस्केलेबल कंपोनेंट्स से संबंधित पूर्व निर्धारित सूचियों पर आधारित समायोजनों पर आधारित होता है। अल्पकालिक संविदाओं के मामले में विद्युत का मूल्य पहले से नहीं बताया जा सकता क्योंकि अवधि के दौरान मूल्य मांग तथा आपूर्ति के अनुसार उल्लेखनीय रूप से घटता-बढ़ता रहता है।

(घ) और (ङ) : राज्य वितरण कंपनियों से विद्युत की खरीद लागत एवं जोखिमों को कम करने के लिए दीर्घकालिक (25 वर्ष तक), मध्यकालिक (1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक) तथा अल्पकालिक (1 वर्ष तक) के अंतर्गत विभिन्न विद्युत क्रय करार का उपयोग करके उनके विद्युत क्रय पोर्टफोलियों को व्यवस्थित करने की अपेक्षा की जाती है जिसके लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत अधिसूचित मॉडल बोली दस्तावेजों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान पहले से विद्यमान है।

लोक सभा में दिनांक 03.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ऊर्जा विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट (संशोधित)

(आंकड़े निवल मिलियन यूनिट में)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	मई, 2017				अप्रैल, 2017 से मई, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) (%)		ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) (%)	
चंडीगढ़	174	174	0	0.0	308	308	0	0.0
दिल्ली	3,375	3,373	3	0.1	5,985	5,981	4	0.1
हरियाणा	4,649	4,649	0	0.0	8,301	8,301	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	803	799	4	0.5	1,572	1,564	8	0.5
जम्मू व कश्मीर	1,597	1,274	323	20.2	3,104	2,478	626	20.2
पंजाब	5,004	5,004	0	0.0	8,541	8,541	0	0.0
राजस्थान	6,015	5,927	88	1.5	11,271	11,172	99	0.9
उत्तर प्रदेश	11,055	10,935	120	1.1	20,819	20,600	219	1.1
उत्तराखंड	1,226	1,221	5	0.4	2,307	2,301	6	0.3
उत्तरी क्षेत्र	33,900	33,357	542	1.6	62,207	61,244	963	1.5
छत्तीसगढ़	2,271	2,271	0	0.0	4,782	4,782	0	0.0
गुजरात	9,853	9,853	0	0.0	19,793	19,793	0	0.0
मध्य प्रदेश	5,544	5,544	0	0.0	10,876	10,876	0	0.0
महाराष्ट्र	14,145	14,112	33	0.2	28,300	28,249	51	0.2
दमन व दीव	217	217	0	0.0	424	424	0	0.0
दादरा एवं नागर हवेली	518	518	0	0.0	1,024	1,024	0	0.0
गोवा	356	356	0	0.0	724	724	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	32,905	32,872	33	0.1	65,923	65,872	51	0.1
आंध्र प्रदेश	4,984	4,979	5	0.1	10,026	10,019	7	0.1
तेलंगाना	4,422	4,421	2	0.0	9,414	9,410	4	0.0
कर्नाटक	5,455	5,453	2	0.0	11,684	11,679	5	0.0
केरल	2,232	2,228	3	0.1	4,505	4,500	5	0.1
तमिलनाडु	9,599	9,596	3	0.0	19,043	19,035	8	0.0
पुडुचेरी	244	244	0	0.1	480	480	0	0.0
लक्षद्वीप#	4	4	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	26,936	26,920	16	0.1	55,154	55,123	31	0.1

बिहार	2,325	2,219	107	4.6	4,443	4,260	183	4.1
डीवीसी	1,770	1,762	7	0.4	3,519	3,510	9	0.3
झारखंड	658	656	2	0.4	1,337	1,330	7	0.5
ओडिशा	2,556	2,555	1	0.0	5,056	5,054	2	0.0
पश्चिम बंगाल	4,827	4,799	28	0.6	9,533	9,477	56	0.6
सिक्किम	37	37	0	0.0	74	74	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	20	15	5	25	40	30	10	25.0
पूर्वी क्षेत्र	12,174	12,029	145	1.2	23,962	23,707	255	1.1
अरुणाचल प्रदेश	64	63	1	1.9	126	124	2	1.6
असम	756	714	42	5.6	1,404	1,321	83	5.9
मणिपुर	63	62	1	1.9	123	121	2	1.6
मेघालय	129	129	0	0.0	253	253	0	0.0
मिजोरम	44	43	1	2.0	86	85	1	1.2
नागालैंड	68	67	1	1.6	128	126	2	1.6
त्रिपुरा	264	260	4	1.5	490	480	10	2.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,389	1,339	50	3.6	2,610	2,510	100	3.8
अखिल भारत	107,304	106,517	787	0.7	209,856	208,455	1,401	0.7

#लक्षदीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट (संशोधित)

(आंकड़े निवल मेगावाट में)


राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	मई, 2017				अप्रैल, 2017 से मई, 2017			
	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	340	340	0	0.0	340	340	0	0.0
दिल्ली	6,021	6,021	0	0.0	6,021	6,021	0	0.0
हरियाणा	7,780	7,780	0	0.0	7,780	7,780	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,349	1,349	0	0.0	1,349	1,349	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	2,668	2,134	534	20.0	2,668	2,134	534	20.0
पंजाब	8,229	8,229	0	0.0	8,229	8,229	0	0.0
राजस्थान	10,305	10,305	0	0.0	10,305	10,305	0	0.0
उत्तर प्रदेश	18,646	17,819	827	4.4	18,646	17,819	827	4.4
उत्तराखंड	1,992	1,992	0	0.0	1,992	1,992	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	52,517	51,820	697	1.3	52,517	51,820	697	1.3
छत्तीसगढ़	3,737	3,713	24	0.6	3,888	3,887	1	0.0
गुजरात	15,325	15,325	0	0.0	15,325	15,325	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,227	8,227	0	0.0	8,402	8,402	0	0.0
महाराष्ट्र	21,874	21,778	96	0.4	22,542	22,494	48	0.2
दमन व दीव	339	339	0	0.0	339	339	0	0.0
दादरा एवं नागर हवेली	768	768	0	0.0	768	768	0	0.0
गोवा	505	504	1	0.1	558	557	1	0.2
पश्चिमी क्षेत्र	49,208	49,048	160	0.3	49,860	49,788	72	0.1
आंध्र प्रदेश	7,914	7,882	32	0.4	7,914	7,882	32	0.4
तेलंगाना	7,412	7,396	16	0.2	9,009	9,001	8	0.1
कर्नाटक	9,376	9,358	17	0.2	9,992	9,987	5	0.1
केरल	3,889	3,837	52	1.3	3,889	3,862	27	0.7
तमिलनाडु	14,749	14,743	6	0.0	15,001	14,975	26	0.2
पुडुचेरी	379	379	0	0.0	388	387	0	0.1
लक्षद्वीप#	8	8	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	41,127	40,885	242	0.6	42,770	42,535	235	0.5
बिहार	4,122	4,021	101	2.5	4,122	4,021	101	2.5
डीवीसी	2,684	2,684	0	0.0	2,684	2,684	0	0.0
झारखंड	1,211	1,211	0	0.0	1,211	1,211	0	0.0
ओडिशा	4,208	4,208	0	0.0	4,227	4,227	0	0.0
पश्चिम बंगाल	7,515	7,495	20	0.3	7,820	7,793	27	0.3
सिक्किम	78	78	0	0.0	91	91	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	40	32	8	20	40	32	8	20
पूर्वी क्षेत्र	19,149	19,032	117	0.6	19,238	19,191	47	0.2

अरुणाचल प्रदेश	145	145	0	0.2	145	145	0	0.2
असम	1,649	1,580	69	4.2	1,649	1,580	69	4.2
मणिपुर	163	161	2	1.2	163	161	2	1.2
मेघालय	304	304	0	0.1	304	304	0	0.1
मिजोरम	86	85	1	0.8	86	85	1	0.8
नागालैंड	132	131	1	0.4	132	131	1	0.4
त्रिपुरा	280	276	4	1.4	280	276	4	1.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,472	2,391	81	3.3	2,472	2,391	81	3.3
अखिल भारत	159,816	156,733	3,083	1.9	159,816	158,393	1,423	0.9

#लक्षदीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

जून, 2017 के दौरान उद्योगों से संबंधित अधिसूचित कटौती/प्रतिबंध	
राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा/मांग कटौती
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़*	
दिल्ली	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
हरियाणा	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
हिमाचल प्रदेश	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
जम्मू व कश्मीर*	
पंजाब	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
राजस्थान	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
उत्तर प्रदेश	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
उत्तराखंड	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
पश्चिमी क्षेत्र	
छत्तीसगढ़	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
गुजरात	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
मध्य प्रदेश	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
महाराष्ट्र	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
गोवा	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
तेलंगाना	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
कर्नाटक	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
केरल	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
तमिलनाडु	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
पुडुचेरी	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
झारखंड	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
ओडिशा	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
पश्चिम बंगाल	कोई कटौती अधिसूचित नहीं
* आंकड़े प्राप्त नहीं किए गए।	

लोक सभा में दिनांक 03.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।



स्रोत: सीईआरसी बाजार निगरानी सेल रिपोर्ट

सीईआरसी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खरीदी गई परंपरागत विद्युत की मात्रा द्वारा भारत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के एपीपीसी के औसत की गणना करके राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) अधिसूचित करती है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) का निर्धारण सीईआरसी के दिनांक 25.01.2016 का आदेश 3.40 रु. प्रति किलोवाट घंटे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर (याचिका सं.15/एसएम/2015) एपीपीसी विनिर्दिष्ट करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3130

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

दूरवर्ती/पिछड़े क्षेत्रों का विद्युतीकरण

3130. श्री गौरव गोगोई:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश के पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित गाँवों के विद्युतीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश के पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से गाँवों के विद्युतीकरण हेतु केन्द्र सरकार के वर्तमान लक्ष्य क्या हैं और इनकी प्राप्ति हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजेवाई) की विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) के अंतर्गत देश के पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों में स्थित सहित जहां या तो ग्रिड संबद्धता संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है। उन सभी गाँवों/आवासों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। इसमें छोटी ग्रिड और स्टेण्ड एलोन प्रणाली शामिल है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान डीडीजी के अंतर्गत 246.84 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई थी। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

डीडीजी के अंतर्गत 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 1354.60 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 4,220 परियोजनाएं स्वीकृत की गई सभी शेष आबादी वाले गाँवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर (ग) से (क) के भाग 3130 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीजी के अंतर्गत जारी 17-2016 और 16-2015 ,15-2014 वार पूंजीगत सब्सिडी-की गई राज्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	सब्सिडी राशि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	14.4025
2	असम	81.6966
3	छत्तीसगढ़	96.1373
4	कर्नाटक	5.2974
5	केरल	1.2439
6	मध्य प्रदेश	10.5729
7	राजस्थान	24.6835
8	उत्तराखंड	1.4834
9	उत्तर प्रदेश	11.3187
	सकल योग	246.8363

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3160

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

रेलवे को उंची कीमतों पर विद्युत की बिक्री

3160. श्रीमती वीणा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल को अगले पांच वर्षों तक 5.5 रुपये प्रति यूनिट की दर पर डाभोल विद्युत परियोजना के माध्यम से विद्युत की बिक्री करने के लिए एक समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत का उक्त बिक्री मूल्य देश में विद्युत के अन्य बड़े खरीददारों पर लागू किए गए बिक्री मूल्यों से कहीं अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) अत्यधिक कीमत पर विद्युत की बिक्री के क्या कारण हैं; और

(च) डाभोल परियोजना में विद्युत उत्पादन की लागत के विद्युत उत्पादन की औसत लागत से अधिक रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): जी, हां। रत्नागिरी गैस एवं पावर लिमिटेड (आरजीपीपीएल) ने 01.04.2017 से पांच वर्षों के लिए 5.50 रु. प्रति यूनिट के निर्धारित टैरिफ पर 500 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत का विक्रय मूल्य उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है, जिसमें अवमूल्यन, ईंधन लागत, ओएण्डएम लागत और पूंजी पर ब्याज आदि शामिल होता है। आरजीपीपीएल एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। यह घरेलू गैस के 7.6 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) आबंटित किया गया था। तथापि, घरेलू गैस के उपलब्ध न होने के कारण, यह घरेलू गैस का मात्र 0.6 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है, गैस की शेष आवश्यकता की पूर्ति आयातित लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) से की जा रही है, जो घरेलू गैस की तुलना में अधिक मंहगी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3163

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

डिस्कॉमों को हानि

3163. श्री शिव कुमार उदासि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों की उन विद्युत-वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रही है;

(ख) क्या 'उदय' (यूदीएवाई) योजना राज्यों द्वारा संचालित विद्युत वितरण क्षेत्र को नया स्वरूप देने में विफल हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुमानित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, राज्य डिस्कॉमों के ब्यौरे जिन्हें वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान हानियां हुई थी, अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : ब्याज लागतों और विद्युत की लागत तथा दक्षता लाभों में कमी सहित उदय के अंतर्गत हस्तक्षेप से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

भागीदार राज्यों ने लगभग 2.32 लाख करोड़ रुपए के ऋण पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं, जिसमें उदय के अंतर्गत निष्पादित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) में परिकल्पित 86% ऋण का समाधान किया गया है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत गैर-लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार, भागीदार राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2017 में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में 1.07% का सुधार तथा एसीएस-एआरआर में 0.13 रु. प्रति यूनिट का सुधार किया है। तथापि, विभिन्न राज्य भिन्न-भिन्न समय पर उदय में शामिल हुए हैं क्योंकि उनकी ट्रेजैक्ट्रियां भिन्न-भिन्न हैं।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3163 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017
उल्लिखित अनुबंध

वर्ष वार ब्यौरा-वार और यूटिलिटी-के लिए हुई हानि का राज्य 15-2014

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	प्राप्त की गई सब्सिडी पर हानि (करोड़ रुपए में)	
पूर्वी	बिहार	एनबीपीडीसीएल	-491	
		एसबीपीडीसीएल	-748	
		झारखंड	जेबीवीएनएल	-37
		ओडिशा	सेसू	-202
			नेसको	-123
			सेसको	-379
			वेसको	-224
		सिक्किम	सिक्किम पीडी	-126
	पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	-257
		असम	एपीडीसीएल	-578
मेघालय		एमईपीडीसीएल	-202	
मिजोरम		मिजोरम पीडी	-192	
नागालैंड		नागालैंड पीडी	-315	
त्रिपुरा		टीएसईसीएल	-82	
उत्तरी		हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-636
	यूएचबीवीएनएल		-1,481	
		हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	-125
		जम्मू व कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	-3,913
		पंजाब	पीएसपीसीएल	-1,100
		राजस्थान	एवीवीएनएल	-3,593
			जेडीवीवीएनएल	-4,146
			जेवीवीएनएल	-4,735
		उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-2,936
			केसको	-168
			एमवीवीएन	-1,994
			पश. वीवीएन	-1,577
			पूर्व वीवीएन	-2,000
		उत्तराखंड	उत् पीसीएल	-260
	दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	-722
			एपीएसपीडीसीएल	-1,827
			कर्नाटक	गेसकॉम
		केरल	केएसईबीएल	-1,273
		तमिलनाडु	टांजेडको	-12,757
		तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	-1,741
			टीएसएसपीडीसीएल	-1,171
पश्चिमी		छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	-1,569
	गोवा	गोवा पीडी	-17	
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-2,765	
			एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,061
			एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,175
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-366	

स्रोत: पीएफसी

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3173

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

एलईडी का वितरण

3173. श्री राजेश कुमार दिवाकर:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'उजाला' योजना एलईडी बल्बों के वितरण के लिए लक्ष्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना प्राप्त किया जाना बाकी है;
- (ख) वितरित किए जा रहे एलईडी बल्बों के संबंध में गुणवत्ता विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में विद्युत की कमी को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा शुरू की गई 'उजाला' योजना के अंतर्गत एलईडी के वितरण के लिए अपनाए गए मापदंडों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें एलईडी बल्बों को एकमुश्त भुगतान और बिल-रहित वित्त योजना पर वितरित किया जा रहा है;
- (ङ) उत्तर प्रदेश में एलईडी बल्ब वितरित करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और राज्य स्थित केन्द्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;
- (च) क्या किसी कम्पनी के विरुद्ध एलईडी बल्बों के वितरण में रुचि नहीं लेने के और अधिक शुल्क वसूलने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (छ) एलईडी बल्बों के उपयोग के परिणामस्वरूप किन-किन राज्यों में विद्युत आपूर्ति संवृद्ध हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए 05 जनवरी, 2015 को सभी के लिए किफायती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना की शुरुआत की गई थी जिसके अंतर्गत मार्च, 2019 तक 77 करोड़ इंकांडेसेंट बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाया जाना है। इसके लिए कोई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 01 अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में

ईईएसएल द्वारा 25.28 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र ने जून, 2017 तक 41.44 करोड़ एलईडी बल्ब भी बेचे हैं।

(ख) : ईईएसएल का प्रापण सेल्फ ब्लास्ट लैम्पों के कार्य निष्पादन आवश्यकताओं के लिए बीआईएस विनिर्देशन आई-16102 (भाग-2):2012 के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी खराबी पैदा होने पर इन बल्बों के बदलने की तीन वर्षों की निःशुल्क वारंटी प्रदान की गई है। एलईडी बल्बों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी गुणवत्ता की कड़ाई से जांच की जाती है।

(ग) : देश में विद्युत की कोई कमी नहीं है बल्कि वर्तमान में इस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत क्षमता है। इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में नेपाल और बांग्लादेश का विद्युत का निवल निर्यातक है।

उजाला स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा मांगों को एकत्र किया जाता है तथा खुदरा बाजार की तुलना में न्यूनतम कीमत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी बल्बों का प्रापण किया जाता है। मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ता पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए निर्धारित वितरण केंद्रों से एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) : उजाला स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में एलईडी बल्ब अपफ्रंट भुगतान आधार पर तथा ऑन बिल फाइनेंस स्कीम के तहत वितरित किए जा रहे हैं।

(ङ) : उत्तर प्रदेश में एलईडी बल्बों का वितरण करने वाली कंपनियों के नाम और उत्तर प्रदेश में जिला-वार एलईडी वितरण केंद्रों के नाम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(च) : उजाला स्कीम के अंतर्गत अत्यधिक प्रभार एवं वितरण एजेंसियों द्वारा इच्छा की कमी के संबंध में कोई भी विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ईईएसएल द्वारा इस प्रकार के मामलों को देखने के लिए क्षेत्र निगरानी कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

(छ) : आज तक ईईएसएल द्वारा पूरे भारत में 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 25.28 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है। केवल इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 32.84 बिलियन केडब्ल्यूएच से अधिक की ऊर्जा बचत का अनुमान है जिससे 6575 मेगावाट की व्यस्ततम मांग से बचा जा सकेगा और प्रति वर्ष 26.60 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂) की ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कटौती होगी। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र द्वारा एलईडी बल्बों की बिक्री के कारण बचतें हुई हैं।

अनुमानित ऊर्जा बचत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक को उत्तरार्थ 03.08.2017 अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर (छ) और (क) के भाग 3173 में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की संख्या	प्रति वर्ष बचाई गई अनुमानित ऊर्जा) एमयू (हटाई गई व्यस्ततम अनुमानित मांग) मेगावाट (
1	अंडमान निकोबार	4,00,000	52.00	10.39
2	आंध्र प्रदेश	2,16,77,316	2,818.02	563.04
3	अरुणाचल प्रदेश	8,985	0.41	0.08
4	असम	15,31,046	199.04	39.77
5	बिहार	1,39,36,861	1,806.39	360.92
6	चंडीगढ़	2,35,859	30.66	6.13
7	छत्तीसगढ़	84,60,396	1,089.87	217.76
8	दादरा एवं नागर हवेली	1,35,667	17.64	3.52
9	दमन व दीव	1,35,924	17.67	3.53
10	दिल्ली	1,16,15,917	1,507.74	301.25
11	गोवा	8,20,333	106.64	21.31
12	गुजरात	3,59,88,490	4,671.01	933.27
13	हरियाणा	1,26,63,682	1,639.07	327.49
14	हिमाचल प्रदेश	76,27,735	991.61	198.12
15	जम्मू व कश्मीर	76,89,954	999.69	199.74
16	झारखंड	1,01,88,680	1,324.11	264.56
17	कर्नाटक	1,65,04,010	2,138.93	427.36
18	केरल	1,01,19,390	1,315.52	262.84
19	लक्षद्वीप	1,00,000	13.00	2.60
20	मध्य प्रदेश	1,40,20,204	1,814.84	362.61
21	महाराष्ट्र	2,12,92,816	2,768.07	553.06
22	मणिपुर	19,965	2.60	0.52
23	मेघालय	2,48,608	31.71	6.34
24	मिजोरम	5,28,624	68.25	13.64
25	नागालैंड	4,59,769	59.77	11.94
26	ओडिशा	1,07,68,272	1,395.46	278.81
27	पुडुचेरी	6,09,251	79.20	15.82
28	पंजाब	1,18,191	14.91	2.98
29	राजस्थान	1,36,22,341	1,768.22	353.29
30	सिक्किम	1,05,148	13.67	2.73
31	तमिलनाडु	4,97,119	61.81	12.35
32	तेलंगाना	13,40,472	172.89	34.54
33	त्रिपुरा	5,71,570	74.30	14.85
34	उत्तर प्रदेश	1,96,68,086	2,543.85	508.26
35	उत्तराखंड	38,61,511	499.79	99.86
36	पश्चिम बंगाल	52,88,707	678.43	135.55
	कुल	25,28,60,899	32,846.78	6,575.81

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (ड) के भाग 3173 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उल्लिखित अनुबंध।

क. उन कंपनियों की सूची जो उत्तर प्रदेश में एलईडी बल्ब वितरित कर रही हैं ,

क्रम सं.	उत्तर प्रदेश के लिए वितरण एजेंसी/डिस्कॉम
1	अलंकित लि .
2	अमर कंस्ट्रक्शन
3	कम्युनिटी वर्क्स वेलफेयर सोसायटी
4	मेदास कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड
5	आरबीएस मल्टीसॉल्यूशन प्रा .लि .
6	जेफिर लिमिटेड
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि) .एमवीवीएनएल (
8	कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाय कं .लि) .केसको (
9	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि) .पीएवीवीएनएल (
10	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि) .डीवीवीएनएल (
11	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि) .पीयूवीवीएनएल (

ख. उत्तर प्रदेश राज्य में एलईडी वितरण केंद्रों की जिले वार संख्या-

क्रम सं.	जिला/जोन	वितरण केंद्रों की संख्या
1	आगरा जोन	5
2	अलीगढ़	11
3	इलाहाबाद जोन	11
4	अमेठी	5
5	अमरोहा) जेपी नगर (7
6	औरैया	6
7	आजमगढ़	5
8	बदायूं	5
9	बागपत	11
10	बलिया	5
11	बांदा	5
12	बाराबंकी	1
13	बस्ती जोन	5
14	बिजनौर	7
15	बुलंदशहर	6
16	चंदौली	3
17	चित्रकूट	3
18	देवरिया	3
19	एटा	3
20	इटावा	6
21	फैजाबाद	5
22	फर्रुखाबाद	5

23	फतेहपुर	4
24	गाजियाबाद	20
25	गाजीपुर	3
26	गोरखपुर जोन	5
27	हमीरपुर	2
28	हापुड़	2
29	हरदोई	3
30	हाथरस	2
31	जालौन	3
32	जौनपुर	3
33	झांसी	6
34	कन्नौज	5
35	कानपुर	51
36	कानपुर देहात	5
37	कासगंज	3
38	कौशांबी	3
39	कुशीनगर	8
40	लखीमपुर	2
41	ललितपुर	3
42	लखनऊ	63
43	महाराजगंज	9
44	महोबा	4
45	मैनपुरी	6
46	मथुरा	5
47	मऊ	4
48	मेरठ	10
49	मिर्जापुर	5
50	मुरादाबाद	6
51	मुजफ्फरपुर	4
52	नोएडा	3
53	पीलीभीत	6
54	प्रतापगढ़	4
55	रामपुर	4
56	सहारनपुर	5
57	संभल	13
58	संत कबीर नगर	3
59	संत रविदास नगर) भदोई (2
60	शाहजहांपुर	15
61	शामली	3
62	सिद्धार्थ नगर	3
63	सीतापुर	2
64	सोनभद्र	2
65	सुल्तानपुर	5
66	उन्नाव	2
67	वाराणसी	11

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3178

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाएं

3178. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं से परियोजना-वार कितनी विद्युत उत्पादित की गई है/उत्पादित किए जाने की संभावना है;
- (ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को यूएमपीपी द्वारा उत्पादित विद्युत के आबंटन के लिए विहित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्यों के साथ किसी समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अभी तक चार यूएमपीपी अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम एवं झारखंड में तिलैया को सफल बोलीदाताओं को अवार्ड कर दिया गया है। मुंद्रा एवं सासन यूएमपीपी पूर्णतः चालू हो गई हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-I में दी गई है। चालू किए गए यूएमपीपी से विद्युत उत्पादन की मात्रा अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) : यूएमपीपी से विद्युत के आबंटन का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। 50% तक विद्युत का आबंटन अग्रणी प्रापक अर्थात् जिस राज्य में यूएमपीपी अवस्थित है, को किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत का आबंटन क्षेत्र विशेष में परियोजना के स्थान, विद्युत की कमी, पारेषण अवसंरचना की उपलब्धता एवं स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) में समान योगदान, राज्य विशेष के लिए विद्युत आबंटन के अनुपात आदि पर आधारित होता है।

(ग) : जी नहीं।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3178 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1	सासन यूएमपीपी)6x660 मेगावाट(सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2	मुंद्रा यूएमपीपी)5x800 मेगावाट(ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3	कृष्णापटनम यूएमपीपी)6x660 मेगावाट(कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4	तिलैया यूएमपीपी)6x660 मेगावाट(तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। विकासकर्ता)झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिने (. दिनांक को विद्युत क्रय करार की 28.04.2015 समाप्तिनोटिस जारी कर दिया है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (क) के भाग 3178 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017
उल्लिखित अनुबंध

यूएमपीपी द्वारा चालू की गई विद्युत उत्पादन की मात्रा

यूएमपीपी का नाम	31.07.2015 के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू में)						2017-18 (अप्रैल - जून)
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
मुंद्रा यूएमपीपी	4000	179.86	12440.39	23927.8	26577.6	25679.75	27460.24	5310.5
सासन यूएमपीपी	3960	-	-	2938.95	17273.83	31262.34	29414.72	7530.59

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3185

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

'उदय'

3185. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत वितरण कंपनियों हेतु 'उज्ज्वल' डिस्कॉम आश्वासन योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत एटी एण्ड सी घाटे में कमी और एसीएस-एआरआर के अन्तर को कम करने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के शुरू होने के पश्चात से अब तक एटी एण्ड सी घाटे में कमी और एसीएस-एआरआर अन्तर में कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है। यह योजना राज्यों के शामिल होने के लिए वैकल्पिक है। उदय का उद्देश्य ब्याज के बोझ, विद्युत की लागत तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (टीएण्डसी) हानियों को कम करना है। योजना में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा वसूल किए गए औसत राजस्व के बीच के अंतर को परिभाषित ट्रांजेक्ट्रीज के अनुसार शून्य स्तर तक कम करने का भी प्रयास किया जाता है।

अब तक 26 (छब्बीस) राज्यों तथा 01 (एक) संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पुडुच्चेरी ने उदय योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) और (घ) : सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्होंने उदय योजना के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, स्वीकृत ट्रांजेक्ट्री के अनुसार एसीएस-एआरआर अंतर तथा एटीएण्डसी हानियों को कम करने का ने उत्तरदायित्व लिया है। ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** एवं **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) : उदय योजना के अंतर्गत प्रचालनात्मक मानदंडों के निष्पादन अर्थात् सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां तथा आपूर्ति की औसत लागत - वसूली किए गए औसत राजस्व (एसीएस - एआरआर) में अंतर हासिल किया गया है जैसा कि भागीदार राज्यों ने अद्यतन किया है जोकि क्रमशः **अनुबंध-III** एवं **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक के उत्तर (घ) और (ग) के भाग 3185 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 में उल्लिखित अनुबंध।

समझौता जापन में सहमत ट्राजेक्टरी के अनुसार कम होने वाला एसीएस-एआरआर अंतर

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष-15	वित्तीय वर्ष-16	वित्तीय वर्ष-17	वित्तीय वर्ष-18	वित्तीय वर्ष-19	वित्तीय वर्ष-20
1.	राजस्थान	अजमेर (एवीवीएनएल)		2.35	0.39	-0.15	-0.15	
		जोधपुर (जेवीवीएनएल)		1.98	0.32	-0.11	-0.11	
		जयपुर (जेवीवीएनएल)		2.04	0.53	-0.11	-0.11	
2.	उत्तर प्रदेश	सभी डिस्कॉम		1.76	1.04	0.60	0.22	-0.06
3.	बिहार	उत्तरी बिहार (एनबीपीडीसीएल)		1.79	1.25	0.80	0.48	-0.07
		दक्षिणी बिहार (एसबीपीडीसीएल)		2.00	1.39	0.85	0.34	-0.24
4.	जम्मू व कश्मीर			2.41	0.68	0.71	0.49	-0.09
5.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल		0.81	0.83	0.51	0.12	-0.02
6.	झारखंड	जेबीवीएनएल		3.16	1.99	0.99	0.00	
7.	उत्तराखंड	यूपीसीएल		0.07	0.04	-0.01	-0.03	
8.	पंजाब	पीएसपीसीएल		0.43	0.37	0.04	-0.09	
9.	गुजरात	सभी डिस्कॉम		-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	
10.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल		0.35	-1.21	-0.34	-0.52	
11.	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल		0.31	0.10	0.01	-0.02	
		एपीएसपीडीसीएल		0.53	0.28	0.00	-0.03	
12.	गोवा	गोवाईडी-			0.75	0.20	-0.15	
13.	कर्नाटक	सभी डिस्कॉम (संयुक्त)		0.10	0.00	-0.01	-0.00	
14.	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल			1.68	0.64	-0.36	
15.	मध्य प्रदेश	सभी डिस्कॉम (संयुक्त)		0.65	0.34	0.16	0.03	-0.10
16.	पुडुचेरी	पुडुचेरीईडी-		0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल		0.50	0.36	0.01	-0.39	
18.	सिक्किम			2.58	0.70	0.39	-0.09	
19.	मेघालय				0.83	0.61	0.35	-0.01
20.	त्रिपुरा				0.05	0.04	0.03	-0.01
21.	अरुणाचल प्रदेश			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	मिजोरम			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	केरल			0.16	0.26	-0.04	-0.06	
24.	तमिलनाडु			0.60	0.20	0.05	-0.07	
25.	असम			0.66	0.43	0.19	-0.05	
26.	हिमाचल प्रदेश			0.09	-0.04	-0.05	-0.05	
27.	तेलंगाना	सभी डिस्कॉम (संयुक्त)			0.87	0.40	0.00	

लोक सभा में दिनांक के उत्तर (घ) और (ग) के भाग 3185 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 में उल्लिखित अनुबंध।

समझौता-जापन में सहमत ट्रेजेक्टरी के अनुसार कम होने वाली एटीएंडसी हानियां

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष-15	वित्तीय वर्ष-16	वित्तीय वर्ष-17	वित्तीय वर्ष-18	वित्तीय वर्ष-19	वित्तीय वर्ष-20
1.	राजस्थान	अजमेर) एवीवीएनएल(24.00%	20.00%	17.5%	15.00%	
		जोधपुर) जेवीवीएनएल(22.4%	18.00%	16.5%	15.00%	
		जयपुर) जेवीवीएनएल(27.50%	22.00%	18.5%	15.00%	
2.	उत्तर प्रदेश	सभी डिस्कॉम		32.36%	28.27%	23.63%	19.36%	14.86%
3.	बिहार	उत्तरी बिहार) एनबीपीडीसीएल (40.00%	34.00%	28.00%	20.00%	15.00%
		दक्षिणी बिहार) एसबीपीडीसीएल (44.00%	38.00%	30.00%	22.00%	15.00%
4.	जम्मू व कश्मीर			56.00%	46.00%	35.00%	25.00%	15.00%
5.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल		28.05%	24.02%	20.04%	15.00%	
6.	झारखंड	जेबीवीएनएल		35.00%	28.00%	22.00%	15.00%	
7.	उत्तराखंड	यूपीसीएल		17.00%	16.00%	15.00%	14.50%	
8.	पंजाब	पीएसपीसीएल		16.16%	15.30%	14.50%	14.00%	
9.	गुजरात	सभी डिस्कॉम		14.50%	14.00%	13.50%	13.00%	
10.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल		21.00%	18.93%	18.00%	15.00%	
11.	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल			5.46%	5.45%	5.44%	
		एपीएसपीडीसीएल			11.29%	11.09%	10.89%	
12.	गोवा	गोवा-ईडी		21.06%	18.75%	16.59%	15.00%	
13.	कर्नाटक	सभी डिस्कॉम) संयुक्त (15.37%	15.50%	15.00%	14.02%	
14.	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल		44.20%	25.15%	18.70%	15.00%	
15.	मध्य प्रदेश	सभी डिस्कॉम) संयुक्त (26.27%	21.15%	19.15%	17.00%	15.00%
16.	पुडुचेरी	पुडुचेरी-ईडी		19.88%	19.00%	15.00%	12.00%	
17.	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल		17.31%	16.74%	15.61%	14.39%	
18.	सिक्किम			37.13%	29.50%	25.94%	15.00%	
19.	मेघालय			36.50%	32.51%	27.50%	21.50%	15.00%
20.	त्रिपुरा			33.80%	30.00%	25.00%	20.00%	15.00%
21.	अरुणाचल प्रदेश			57.74%	52.41%	43.00%	39.00%	25.00%
22.	मिजोरम			32.17%	27.38%	23.76%	20.30%	15.00%
23.	केरल			11.57%	11.45%	11.23%	11.00%	
24.	तमिलनाडु			14.58%	14.06%	13.79%	13.50%	
25.	असम			22.49%	19.00%	17.75%	16.10%	15.00%
26.	हिमाचल प्रदेश			13.85%	13.50%	13.00%	12.75%	
27.	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल			12.68%	11.30%	9.90%	
		टीएसएनपीडीसीएल			11.90%	10.95%	10.00%	

लोक सभा में दिनांक को उत्तरार्थ 03.08.2017 अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में (ड) के भाग 3185 उल्लिखित अनुबंध।

एटीएंडसी हानियां

क्रम सं.	पैरामीटर	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17 लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की तुलना में एटीएंडसी हानियों में कमी
	अखिल भारतीय आधार	(% में)	21.14	18.66	20.07	1.07
1	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	13.25	4.15	8.77
2	मणिपुर	(% में)	44.21	28.89	36.89	7.32
3	झारखंड	(% में)	34.71	28.38	29.90	4.81
4	त्रिपुरा	(% में)	20.94	30.00	16.61	4.33
5	हरियाणा	(% में)	29.83	24.03	25.69	4.14
6	राजस्थान	(% में)	27.27	23.09	23.81	3.46
7	गुजरात	(% में)	15.04	14.06	12.28	2.76
8	उत्तराखंड	(% में)	17.19	15.99	14.50	2.69
9	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	18.93	19.34	2.45
10	बिहार	(% में)	43.74	36.42	41.75	1.99
11	मेघालय	(% में)	36.48	32.51	34.87	1.61
12	पुडुचेरी	(% में)	19.88	19.00	18.98	0.90
13	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	16.74	18.30	0.77
14	गोवा	(% में)	17.12	14.49	16.79	0.33
15	जम्मू व कश्मीर	(% में)	61.6	46.00	61.34	0.26
16	तमिलनाडु	(% में)	14.38	14.02	14.53	-0.15
17	तेलंगाना	(% में)	14.02	11.93	14.20	-0.18
18	कर्नाटक	(% में)	14.94	15.43	15.15	-0.21
19	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	20.76	25.16	-1.19
20	केरल	(% में)	16.03	11.57	17.28	-1.25
21	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	9.26	10.96	-1.55
22	पंजाब	(% में)	15.95	15.30	17.57	-1.62
23	असम	(% में)	22.12	19.00	25.09	-2.97
24	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	28.08	30.21	-3.74

उदय पोर्टल पर केवल 2017 ,मार्च/राज्यों के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। फरवरी 24में जोड़े गए तीन राज्यों के निष्पादन आंकड़े अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

लोक सभा में दिनांक के उत्तर में (ड) के भाग 3185 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 03.08.2017 उल्लिखित अनुबंध।

एसीएसएआरआर अंतर-

क्रम सं.	पैरामीटर	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17		पिछले वर्ष की तुलना में एसीएसएआरआर - अंतर में कमी
				लक्ष्य	उपलब्धि	
	अखिल भारतीय आधार	(रुयूनिट में/.)	0.6	0.38	0.47	0.13
1	मणिपुर	(रुयूनिट में/.)	1.31	0	0.1	1.21
2	राजस्थान	(रुयूनिट में/.)	1.68	0.41	0.74	0.94
3	गोवा	(रुयूनिट में/.)	1.50	0.68	0.95	0.55
4	जम्मू व कश्मीर	(रुयूनिट में/.)	2.55	0.68	2.15	0.40
5	छत्तीसगढ़	(रुयूनिट में/.)	0.18	-1.21	-0.15	0.33
6	हिमाचल प्रदेश	(रुयूनिट में/.)	0.01	-0.04	-0.26	0.27
7	तमिलनाडु	(रुयूनिट में/.)	0.60	0.20	0.36	0.24
8	त्रिपुरा	(रुयूनिट में/.)	0.24	0.05	0.02	0.22
9	आंध्र प्रदेश	(रुयूनिट में/.)	0.82	0.21	0.6	0.22
10	उत्तर प्रदेश	(रुयूनिट में/.)	0.88	0.94	0.66	0.22
11	तेलंगाना	(रुयूनिट में/.)	0.75	0.82	0.64	0.11
12	हरियाणा	(रुयूनिट में/.)	0.18	0.83	0.08	0.10
13	मध्य प्रदेश	(रुयूनिट में/.)	0.92	0.34	0.86	0.06
14	महाराष्ट्र	(रुयूनिट में/.)	0.24	0.30	0.22	0.02
15	गुजरात	(रुयूनिट में/.)	-0.02	-0.02	-0.03	0.01
16	पुडुचेरी	(रुयूनिट में/.)	0.03	0.19	0.07	-0.04
17	उत्तराखंड	(रुयूनिट में/.)	0.10	0.03	0.14	-0.04
18	बिहार	(रुयूनिट में/.)	0.65	1.32	0.71	-0.06
19	मेघालय	(रुयूनिट में/.)	1.71	0.83	1.81	-0.10
20	पंजाब	(रुयूनिट में/.)	0.60	0.02	0.71	-0.11
21	असम	(रुयूनिट में/.)	0.48	0.66	0.65	-0.17
22	झारखंड	(रुयूनिट में/.)	1.22	1.63	1.48	-0.26
23	कर्नाटक	(रुयूनिट में/.)	0.06	0.56	0.35	-0.29
24	केरल	(रुयूनिट में/.)	0.23	-0.26	0.53	-0.30

उदय पोर्टल पर केवल 2017 ,मार्च/राज्यों के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। फरवरी 24में जोड़े गए तीन राज्यों के निष्पादन आंकड़े अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3193

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

3193. श्री निर्दोष इरिंग:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नीति आयोग ने अपनी प्रारूप राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में ऊर्जा क्षेत्र में 150 बिलियन डॉलर पूंजी के निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कई निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं पूंजी की कमी के कारण रोक दी गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी की कमी की चुनौती को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के प्रारूप में यह उल्लेख किया है कि "ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में हमारे यहाँ अत्यधिक उच्च ब्याज दरों से स्थिति गंभीर हो गई है। 2040 तक वार्षिक आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 150 बिलियन डॉलर पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी (इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी)। इसे अन्य क्षेत्रों में पूंजी की उपलब्धता पर प्रभाव डाले बिना प्राप्त करना होगा।"

(ग) से (ङ) : कुल 18,420 मेगावाट की क्षमता वाली 17 निर्माणाधीन कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं वित्तीय मुद्दों के कारण रूकी पड़ी हैं। सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में वित्तीय मुद्दों के समाधान हेतु निम्न उपाय किए गए हैं:

- (i) देश की विद्युत वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं प्रचालन टर्न-अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)।
- (ii) आरबीआई ने (i) संकटग्रस्त परिसंपत्ति (एस4ए) की स्थायी संरचना की योजना तथा (ii) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए स्ट्रेटजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम (एसडीआर) जैसी योजनाओं को अधिसूचित किया है।
- (iii) परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए बैंकों द्वारा सम्यक तत्परता तथा वित्तीय पुनर्संरचना पूरी कर ली गई है ताकि नए इक्विटी निवेश में नए प्रमोटर्स या राज्यों को आकर्षित किया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3200

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

ताप विद्युत केन्द्रों हेतु प्रदूषण मानक

3200. श्री लल्लू सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2017 की बजाए वर्ष 2020 से देश में ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में संवर्धित प्रदूषण मानकों को लागू करना प्रस्तावित किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और उपर्युक्त वर्णित प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस संबंध में पूर्व निर्णय को परिवर्तित किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : 07 दिसंबर, 2017 तक बहुत से ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित कारणों की वजह से अपेक्षित प्रौद्योगिकी लगाए जाने की स्थिति में नहीं हैं:

- I. डिजाइन और इंजीनियरिंग, अनुमोदन, निधियों की व्यवस्था, टेंडरिंग और इरेक्शन, परीक्षण एवं शुरू करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की संस्थापना के लिए 24-36 माह की कार्यान्वयन अवधि अपेक्षित होती है।
- II. संयंत्रों/यूनिटों को एक साथ बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियोजित बंदी की आवश्यकता होती है।
- III. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा अधिसूचित नाइट्रोजन ऑक्साइडों की उत्सर्जन की शर्तों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कुछ यूनिटों में सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन (एससीआर) अथवा सेलेक्टिव नॉन-कैटालाइटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) प्रणाली संस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रौद्योगिकियां हाई ऐश कोल सहित स्वदेशी स्थितियों के अंतर्गत अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हैं।

उपर्युक्त के संबंध में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत मांग आपूर्ति की स्थिति, मांग की आवश्यकता के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा दिसंबर, 2015 में जारी नए पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। केंद्रीय/राज्य/स्वतंत्र विद्युत संयंत्रों/यूटिलिटीयों और क्षेत्रीय विद्युत समितियों के साथ परामर्श के उपरांत कोयला आधारित ताप संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की संस्थापना/उन्नयन के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3204

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

3204. श्री रायपति सम्बासिवा रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जब मंत्रालय के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू की जाती है तो क्या विस्थापित/प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के संबंध में कोई नीति है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) एनटीपीसी, पीपीसीआईएल द्वारा एक परियोजना के कारण विस्थापित/प्रभावित लोगों को कितनी राशि भुगतान की गई है; और
- (ङ) क्या विस्थापित/प्रभावित लोगों की क्षतिपूर्ति का कोई मामला लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी, हाँ। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भारत सरकार के प्रावधानों भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 / संबंधित राज्यों के विशेष अधिनियमों, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2003 (एनपीआरआर, 2003), राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007) तथा भूमि अधिग्रहण में मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार किया जाता है।

भूमि का मूल्य/मुआवजा भारत सरकार/संबंधित राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एनटीपीसी ने अपनी 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 1763.28 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। पीजीसीआईएल ने वर्ष 2007 से अपनी 69 परियोजनाओं के संबंध में भूमि के अधिग्रहण के लिए 874.90 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

अब तक राज्य प्रशासन द्वारा मांगी गई कुल राशि एनटीपीसी तथा पीजीसीआईएल द्वारा जमा कर दी गई है तथा विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का कोई मामला लंबित नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3211

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2017 को दिया जाना है ।

ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट

3211. श्री राजीव सातवः

श्री धनंजय महाडीकः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

डॉ. जे. जयवर्धनः

श्री पी.आर. सुन्दरमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइटों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो योजना के उद्देश्य और ब्यौरा क्या हैं;
- (ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार को किन समस्याओं/चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
- (घ) ऐसी कठिनाइयों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् संबंधित सूचकांकों में कोई सुधार आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित सूचकांकों के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में परंपरागत स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी लाइट लगाने को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य नीतियों का अनुसरण कर रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को मार्च, 2019 तक स्मार्ट ओर ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की

शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है, द्वारा किया जा रहा है। ईईएसएल द्वारा एसएलएनपी के कार्यान्वयन हेतु 554 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सूचीबद्ध किया गया है।

एसएलएनपी के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर ईईएसएल ने पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग आंध्र प्रदेश सरकार तथा आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता विकास निगम के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 जिलों (गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लौर, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर तथा चित्तूर) के ग्राम पंचायतों में 10 लाख परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला जाएगा।

इस स्कीम का उद्देश्य ऊर्जा उपभोग को कम करने और बेहतर प्रकार व्यवस्था के साथ सुरक्षा और संरक्षा को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दक्ष प्रकाश व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

(ग) और (घ) : एसएलएनपी के कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण कठिनाईयां/चुनौतियां नहीं आ रही है।

(ङ) : आन्ध्रप्रदेश में 7 जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदलने में 147 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा के रूप में बचत होगी और 120 मिलियन टन CO₂ की ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) की निकासी में कमी होगी।

(च) : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों और सम्बद्ध कार्यालयों के भवनों तथा सरकार/पंचायत द्वारा वित्तपोषित सभी सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था परियोजनाओं में एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था को अनिवार्य बनाने के लिए अनुदेश जारी करने हेतु राज्यों से अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सरकारी भवनों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था परियोजनाओं में एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था को अनिवार्य बनाने के लिए संस्थापना करने के आवश्यक निदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
